कार्यालय आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक–डी (भू–तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ0ग0)

☎ - 2263708, 2262558 Fax - 2262558

Email Id - pmscstobc@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 183 / 2024–25 / 10569 नवा रायपुर, दिनांक 23 / 12 / 2024

: : सूचना प्रकाशन : :

वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2024–25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :–

क	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/ नवीनीकरण)	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.01.2025
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 15.02.2025 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 28.02.2025 तक

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट :–

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि** करना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024–25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से **OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन** आवेदन करते समय की जानी है। **OTR की प्रविष्टि** के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी।
3. वर्ष 2024–25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ0ग0